34/2022

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार रायपुर जिला पाली

क्रमाक/भु. अ./कोर्ट/2022/1703 दिंनाक 11.7.2022

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
रायपुर जिला पाली

विषयः—प्रार्थना पत्र वास्ते न्यायलय द्वारा पारित राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 134/2021 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम नरेन्द्र भाटी व अन्य मे पारित आदेश दिंनाक 1/12/2021 को रिव्यु करने बाबत् ।

Reader
11/7/22

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि:—

1. यह है कि नरेन्द्र भाटी पुत्र श्री शिवलाल कौम माली सा. जैतारण के प्रार्थना पत्र पर ग्राम बर पटवार हल्का बर तहसील रायपुर के खसरा सं. 749 एवं 749/2 की आनलाईन तरमीन को लट्टे नक्शे के अनुसार तरमीन करने हेतु आवेदन करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राज.लैण्ड रेवैन्यु एक्ट 1956 वास्ते तरमीन शुद्वि का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर दिंनाक 1/12/2021 को श्रीमान न्यायलय के द्वारा तरमीन संसोधन करने का आदेश पारित किया गया। आदेश की पालना भी विधिवत पुर्ण कर लट्टे नक्शे अनुसार तरमीन कर दी गयीं।

2. यह है कि दिंनाक 26/04/2022 को बंशीलाल के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की उनकी खातेदारी भुमि खसरा सं. 749/1 रक्बा 0.0405 हैक्टैयर राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज है तथा आनलाईन नक्शे मे तरमीन खसरा सं. 749/1 का क्षेत्रफल 0.0323 हैक्टैयर भुमि ही है एवं उक्त सम्पुण भुमि खसरा सं. 749 रक्बा 02—00 बीघा का 11.10.2012 को तहसीलदार कार्यालय से बॅटवाडा हो रखा है उस तरमीन मे एवं वर्तमान आनलाईन तरमीन मे भिन्नता है जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र की जाचॅ हल्का पटवारी से करवायी गयी। हल्का पटवारी अनुसार खसरा सं. 749/1 की आनलाईन तरमीन मे क्षेत्रफल 0.0323 है. ही है जबकि जमाबन्दी अनुसार 0.0405 है. भुमि है इसलिए इसे सुधारा जाना प्रस्तावित है। खसरा सं. 749, 749/1, 749/2 749/3 की लट्टा ट्रेस तरमीम मुल विभाजन अनुसार सही नही है इसलिए मुल विभाजन अनुसार तरमीम सुधारा जाना प्रस्तावित है।

3. यह है कि पुर्व मे तरमीम संसोधन का प्रार्थना पत्र भुमि धारी द्वारा पेश किया गया जो लट्टे अनुसार किया गया जिस समय मुल विभाजन की प्रति उपलब्ध नही थी। वर्तमान मे श्री बंशीलाल द्वारा मुल विभाजन की प्रमाणित पेश कि गयी। मुल विभाजन

लगातार पेज.2

एवं लट्टा नक्शा की तरमीम मे भी भिन्नता है। लट्टे मे तरमीम भी गलत थी जिसे सुधारा जाना न्यायहित मे आवश्यक है। इसलिए भुमिधारी द्वारा पेश तरमीम का प्रस्ताव एवं प्रस्ताव अनुसार श्रीमान द्वारा पारित आदेश मे प्रस्तावित तरमीम, मुल विभाजन मे बनाये नजरी नक्शे से अलग होने के कारण उसे रिव्यु प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

4. यह है कि प्रार्थी बाबुलाल के प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी बर की रिर्पोट अनुसार एवं मुल विभाजन दिंनाक 11.10.2012 के अनुसार वर्तमान आनलाईन तरमीम को सुधारा जाना न्यायहित मे आवश्यक होने से श्रीमान द्वारा पारित निर्णय प्रार्थना पत्र 134/2021 दिंनाक 01/12/2021 को रिव्यु करवाते हुए खसरा सं. 749, 749/1, 749/2, 749/3 की तरमीम को संलग्न प्रार्थना पत्र मे प्रस्तावित अनुसार एवं मुल विभाजन अनुसार किये जाने की अनुशषा के साथ प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

तहसीलदार रायपुर

तहसीलदार-रायपुर
जिला-पाली (राज०)

फर्दमौका

आज दिनांक 6.7.2022 को ग्राम बर के खसरा संख्या 749, 749/1, 749/2 रकबा 0.1619, 0.0405, 0.1457 किस्म आ.प्र., बा.अ., आ.प्र. खातेदार पुष्पराज पुत्र बाबूलाल, भीकमचंद, नरेन्द्र माली पुत्र शिवलाल कौम पालावंदी (?) .... का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है।

नजरीनक्शा

उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार पूर्व में लठ्ठा-ट्रेस अनुसार तरमीम शुद्धि की गई किंतु पूर्व में विभाजन आदेश क्रमांक/राजस्व/2012/2428 दि. 11.10.12 के अनुरूप लठ्ठे में तरमीम नहीं होने के कारण ऑनलाईन नक्शे में स्केन से लठ्ठा ट्रेस की गलत तरमीम अनुसार शुद्धि दर्ज की गई जो गलत इन्द्राज है। अतः उपरोक्त ख.नं. 749, 749/1, 749/2 में मूल विभाजन आदेश अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है जो कि नक्शा ऑनलाईन होने के बाद की स्थिति है। सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

वर्तमान तरमीम जो गलत है।

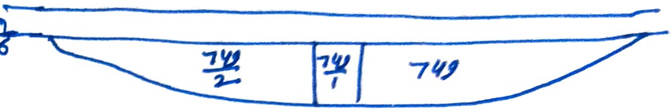

मौका /नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुध्दि प्रस्तावित है।

संलग्न–1. नकल जमाबन्दी
2. गत नक्शा की प्रति
3. वर्तमान नक्शा की प्रति

हस्ताक्षर गवाहान

पटवारी बर
हल्का बर
हस्ताक्षर पटवारी
तहसील-रायपुर (पाली)

रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक

पटवारी हल्का बर की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर तरमीम किया जाना उचित है।

ILR बर
हस्ताक्षर भू अ निरीक्षक

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का ....बर........ जांच भू अ: नि. ....बर........ के आधार पर तरमीम शुध्दि की अनुशंषा की जातीहै।

तहसीलदार रायपुर

मुकदमा नम्बर 34/2022

आदेश

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम बर पटवार हल्का बर के खसरा संख्या 749, 749/1, 749/2 रकबा 0.1619, 0.0405, 0.1457 की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के संशोधित आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर पालना कर , पालना प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)